

## प्रारम्भिक शिक्षा से स्नातक वेतनक्रम में 30 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु विकल्प पत्र

1. अध्यापक/अध्यापिका का नाम –
  2. वर्तमान पदनाम –
  3. आवेदित विषय –
  4. कार्यरत विद्यालय का नाम व श्रेणी –
  5. विकास खण्ड का नाम –
  6. जनपद का नाम –
  7. पदोन्नति हेतु विकल्पित विद्यालयों के नाम –
- (प्रत्येक अध्यापक/अध्यापिका द्वारा 05 विद्यालयों के ही विकल्प भरे जाय)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	जनपद	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय की श्रेणी
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

### घोषणा पत्र

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही गतिमान नहीं है और न ही मेरे सम्बन्ध में मार्ग न्यायालय में किसी प्रकार का वाद चल रहा है।

हस्ताक्षर –

अध्यापक/अध्यापिका का नाम –

पदनाम –

कार्यरत विद्यालय –

मोबाइल नं. –

### टिप्पणी:-

- (1)– काउंसिलिंग के समय सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा अपने समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण एवं नियुक्ति/पदोन्नति सम्बन्धी समस्त मूल अभिलेख/प्रोफाइल अनिवार्यतः समिति के सम्मुख उपलब्ध कराने होंगे।
- (2)– उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—नवसृजित, संख्या: 601/(A)/ xxIV – नवसृजित/2014–32(01)/2013, देहरादून: दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रख्यापित “उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014” के नियम 9(1) का संशोधन—में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका द्वारा X अथवा Y श्रेणी के विद्यालयों के विकल्प प्रस्तुत किये जायेंगे। वांछित अभिलेख— यथा विकलांग शिक्षकों, गम्भीर रोग ग्रस्त शिक्षक, विधवा/परित्यक्ता, विधुर/भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों/शिक्षक के मानसिक रूप से विक्षिप्त पति/पत्नी अथवा विक्षिप्त बच्चों के माता-पिता शिक्षक एवं अन्य शिक्षक जिनकी आयु 55 वर्ष हो चुकी हो, वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। वरिष्ठता क्रम में विकल्पित विद्यालय में पदस्थापना होने के कारण पद रिक्त न होने की दशा में अथवा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अध्यापक /अध्यापिका की पदस्थापना हेतु समिति द्वारा विचार किया जायेगा।